(45)

न्यायालय सहायक कलेक्टर जसवंतपुरा मु. भीनमाल जिला जालोर
पीठासीन अधिकारी –दौलतराम चौधरी आर.ए.एस.
राजस्व प्रकरण सख्या –61/2014

प्रार्थी :– केसा वल्द सग्रामा कौम कलबी साकिन जोडवाडा तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. हीरा वल्द भगा कौम कलबी साकिन जोडवाडा तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर
2. सांवलाराम वल्द हाजाजी कौम भील साकिन घासेडी तहसील भीनमाल जिला जालोर
3. श्रीमती पंखुदेवी पत्नी सांवलाराम कौम भील साकिन घासेडी तहसील भीनमाल जिला जालोर
4. गंगाराम वल्द छोगाजी कौम भील साकिन जोडवाडा तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर
5. श्रीमती सीतादेवी पत्नी हीराराम कौम भील साकिन जोडवाडा तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर
6. डायाराम वल्द मडा कौम भील साकिन जोडवाडा तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर
7. मफा वल्द वीरमा कौम भील साकिन आलवाडा तालुका धानेरा जिला बनासकांठा (गुजरात)
8. मंछाराम वल्द छोगा कौम भील साकिन जोडवाडा तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर
9. एम.जी.बी.ग्रामीण बैंक शाखा तवाव जरिये मैनेजर एम.जी.बी. ग्रामीण बैंक शाखा तवाव तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जसवंतपुरा तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर
11. पटवारी पटवार हल्का जोडवाडा तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक: 15/3/18

प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि सरहद मौजा जोडवाडा तहसील जसवंतपुरा में प्रार्थी की पुरानी कब्जासुदा व खरीदसुदा खातेदारी आराजी पुराने खसरा नम्बर 452/1080 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी दोयम स्थित है। प्रार्थी ने उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज दिनांक 06.08.1982 के देवा वल्द लाखा कौम रेबारी साकिन जोडवाडा से मोल खरीद की थी। वक्त खरीद से ही प्रार्थी उक्त आराजी पुराने खसरा नम्बर 452/1080 के 15 बीघा रकबे पर काबिज होकर आज तक निरंतर बिना किसी बाधा व रोकटोक के काश्त करता आ रहा है। गत सेटलमेंट के दौरान उक्त आराजी पुराने खसरा नम्बर 452/1080 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी दोयम का नया खसरा नम्बर 1232 रकबा 2.05 हैक्टैयर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम सृजित किया गया। गत सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट कर्मचारियों ने प्रार्थी की आराजी का रकबा गत सेटलमेंट के पूर्व की जमाबंदी में दर्ज रकबे के माफिक दर्ज नही कर कम दर्ज कर दिया। गत सेटलमेंट से पूर्व की जमाबंदी में प्रार्थी की आराजी का रकबा 15 बीघा अर्थात

सहायक कलेक्टर, जसवन्तपुरा
जिला-जालोर (राज.)
जिला-जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

46

2.40 हैक्टेयर दर्ज था। गत सेटलमेंट की प्रक्रिया के दौरान सेटलमेंट कर्मचारियो ने प्रार्थी की आराजी का रकबा 2.05 हैक्टेयर दर्ज किया अर्थात 0.35 हैक्टेयर रकबा प्रार्थी की आराजी में कम दर्ज कर दिया। प्रार्थी की आराजी से घटाया गये 0.35 हैक्टेयर रकबे में 0.29 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 1 व 6 की आराजी खसरा नम्बर 1229 में सम्मिलित कर अप्रार्थी संख्या 1 व 6 की खातेदारी में दर्ज कर दिया अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 व 6 की आराजी का रकबा गत सेटलमेंट मे दर्ज रकबे 30 बीघा अर्थात 4.80 हैक्टेयर से ज्यादा रकबा अर्थात 5.09 हैक्टेयर रकबा दर्ज कर दिया। प्रार्थी की आराजी मे से घटाया गया शेष रकबा अर्थात 0.06 हैक्टेयर रकबा प्रार्थी के पडोस की सरकारी आराजी खसरा नम्बर 1228 में सम्मिलित कर सरकारी खाते में दर्ज कर दिया। इस प्रकार गत सेटलमेंट के दौरान प्रार्थी की खातेदारी आराजी में कुल 0.35 हैक्टेयर रकबा कम दर्ज किया गया। गत सेटलमेंट के बाद अप्रार्थी संख्या 1 व 6 के बीच अपनी आराजी का बंटवाडा हो जाने से मूल खसरा नम्बर 1229 रकबा 5.09 मे से खसरा नम्बर 1229/1978 रकबा 2.55 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 1 हीरा के बंट मे आया तथा खसरा नम्बर 1229 रकबा 2.54 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 6 डाया के बंट मे आया। अप्रार्थी डाया द्वारा अपने बंट की आराजी खसरा नम्बर 1229 रकबा 2.54 हैक्टेयर मे से 0.80 हैक्टेयर आराजी का बैचान अप्रार्थी संख्या 7 मफा को किया तब मीन खसरा नम्बर 1229/1986 रकबा 0.80 हैक्टेयर कायम होकर अप्रार्थी संख्या 7 मफा के नाम दर्ज हुआ। अप्रार्थी संख्या 7 मफा ने खसरा नम्बर 1229/1986 रकबा 0.80 हैक्टैयर का बैचान अप्रार्थी संख्या 8 मंछाराम को कर दिया। अप्रार्थी हीरा ने अपने बंट की आराजी खसरा नम्बर 1229/1978 रकबा 2.55 हैक्टेयर मे से 0.48 हैक्टेयर आराजी अप्रार्थी संख्या 2 सांवलाराम को, 0.48 हैक्टेयर आराजी अप्रार्थी संख्या 3 पंकूदेवी को, 0.48 हैक्टेयर आराजी अप्रार्थी संख्या 4 गंगाराम को, 0.48 हैक्टेयर आराजी अप्रार्थी संख्या 5 सीतादेवी को, 0.48 हैक्टेयर आराजी अप्रार्थी संख्या 1 हीरा को किया। जिससे प्रार्थी के पूर्व दिशा मे स्थित मूल खसरा नम्बर 1229 रकबा 5.09 हैक्टेयर की आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 व 6 के अलावा अन्य खरीददारान के नाम भी दर्ज है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 व 6 को कहा कि मेरी आराजी का जो रकबा गत सेटलमेंट के दौरान तुम्हारी आराजी में सम्मिलित हुआ है वो मेरे नाम दर्ज करवाआं तब अप्रार्थी संख्या 1 व 6 ने अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4, 5 व 8 के साथ मिलकर प्रार्थी को यह कहते हुए ऐलानिया धमकी दी कि हमने हमारी आराजी मूल खसरा नम्बर 1229 मे से काफी आराजी अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4, 5 व 8 को बेचान कर दी है अब हम गत सेटलमेंट के दौरान तुम्हारी आराजी का रकबा जो हमारे नाम से दर्ज हुआ है उस पर भी कब्जा कर तुम्हे बेदखल कर देगे तथा उक्त आराजी का अप्रार्थी संख्या 10 व 11 से मिलावट कर आवासीय कर आवासीय प्रयोजनार्थ रूपांतरण करवा कर इस आराजी में निर्माण करवा कर इस आराजी को आगे से आगे अंतरण कर देगे। गत सेटलमेंट के दौरान जब पर्चा प्रमाणांकण की कार्यवाही हुई तब प्रार्थी ने सेटलमेंट वालो के सामने अपना रकबा कम दर्ज होने बाबत ऐतराज किया जब श्रीमान सहायक सेटलमेंट ऑफिसर जोधपुर ने प्रार्थी की आराजी के पर्चे के पीछे यह नोट भी अंकित किया कि रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कम आया है पटवारी जमाबंदी साथ लावे जिस पर प्रार्थी आश्वस्त रहा। लेकिन सेटलमेंट वालो द्वारा प्रार्थी की आराजी का रकबा दुरस्त नही किया गया। इस प्रकार सेटलमेंट वालो को प्रार्थी की आराजी का रकबा कम कर अप्रार्थी संख्या 1 व 6 एवं राज्य सरकार के खाते में सम्मिलित

जसवन्तपुरा

Scanned by CamScanner

करने का कोई अधिकार नही था। प्रार्थी गत सेटलमेंट के दौरान अपनी आराजी में से कम किये गये रकबे की खातेदारी घोषित करवाकर रेकर्ड दुरस्त करवाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने का अधिकारी है जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश हवै। अप्रार्थी संख्या 6 के नाम दर्ज आराजी अप्रार्थी संख्या 9 एम.जी.बी. ग्रामीण बैंक शाखा तवाव के यहा राहिन दर्ज होने से बैंक को औपचारिक अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 9 के खिलाफ वाद में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा का मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाकर अप्रार्थीगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थी की उक्त वादग्रस्त आराजी रकबा 0.35 हैक्टेयर जो प्रार्थी के आराजी के रकबे में से कम की जाकर 0.29 हैक्टेयर नये खसरा नम्बर 1229 में सम्मिलित कर (जो प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1232 के पूर्व दिशा में प्रार्थी की आराजी के लगतो लगत है) अप्रार्थी संख्या 1 व 6 की खातेदारी में दर्ज की गई है तथा 0.06 हैक्टेयर नये खसरा नम्बर 1228 में सम्मिलित कर (जो प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1232 के उतर दिशा में प्रार्थी की आराजी के लगतो लगत है) अप्रार्थी राज्य सरकार के खाते में दर्ज की गई है उस आराजी में अप्रार्थीगण न तो दखलंदाजी करे एवं न ही प्रार्थी को बेदखल करे न किसी से करावे न इस आराजी का अप्रार्थी संख्या 10 व 11 से मिलावट कर आवासीय प्रयोजनार्थ रूपांतरण करावे एवं न ही इस आराजी में निर्माण कर आवासीय प्रयोजनार्थ रूपांतरण करावे एवं न ही इस आराजी मे निर्माण कर आगे से आगे बेचान या अन्य किसी भी तरह अंतरण करे।

अप्रार्थी नम्बर 1, 6, 10 व 11 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु जवाब पेश नही किया फलस्वरूप जवाब बंद किया गया। दीगर अप्रार्थीगण बावजूद इत्तला के भी तारिख पेशी पर उपस्थित नही हुए फलस्वरूप उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

हमने बहस सुनी बहस पर मनन किया व प्रकरण का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा नम्बर 452/1080 का रकबा 15 बीघा राजस्व रेकर्ड में भूप्रबन्ध के पूर्व दर्ज था, जिसके मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नवीन खसरा नम्बर 1232 रकबा 2.05 हैक्टेयर सृजित हुए। तथा पुराने खसरा नम्बर 452/1078 रकबा 15 बीघा व पुराने खसरा नम्बर 452/1079 रकबा 15 बीघा के नवीन खसरा नम्बर 1229 रकबा 5.09 हैक्टेयर मिलान क्षेत्रफल अनुसार सृजित हुए। भूप्रबन्ध कार्यवाही के दोरान नवीन अभिलेख मौके एवं रेकर्ड की स्थिति अनुसार ही भूप्रबन्ध विभाग द्वारा सृजित किया जाता है। पुराने खसरा नम्बरान के नवीन खसरा नम्बरान सृजन के दौरान मौके की स्थिति अनुसार ही अभिलेख तैयार किया गया है। प्रार्थी द्वारा भूप्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान रकबा कम होने के एतराज का उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र मे अवश्य किया है लेकिन प्रार्थी की और से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपनी वादग्रस्त आराजी का रकबा कम कर पूर्व दिशा में लगतो लगत आराजी में सम्मिलित किये जाने के संबध में कोई पैमाईश रिपोर्ट इत्यादि प्रस्तुत नही की गई है, जिससे कि यह साबित हो सके कि प्रार्थी की भूमि का रकबा पडोसी लगते लगत खातेदारी भूमियो मे गया हो। प्रार्थी द्वारा नये खसरा नम्बर 1228 का उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में अवश्य किया है परन्तु इस संबध में खसरा नम्बर

सहायक कलेक्टर, जसवन्तपुरा

1228 की जमाबंदी अथवा राजस्व रेकर्ड अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नही किये गये है। साथ ही प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दस्तावेज प्रमाणो के आधार पर साबित नही कर सका है। जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है तथा सूविधा का संतुलन एवं अपूर्णिय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नही बनता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत जारी करने अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15/3/18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
सहायक कलेक्टर
जसवंतपुरा

सहायक कलेक्टर, जसवंतपुरा
जिला-जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner